सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल **श्री आनंद कुमार**, संपत्ति एक आवासीय घर, (क्षेत्रफल 116 वर्ग फुट) वाका मौजा भोंडसी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, खेवट/खाता संख्या 26/26, मु. नंबर 84, किला नंबर 9(8-0), 10(8-0), 11(8-0), 12(8-0), 19/2(4-0), 20(8-0), 21(8-0), 22/1(4-0), एमयू। नंबर 85, किला नंबर 5/2(1-0), 6(8-0), 14(8-0), 15(8-0), 16(8-0), 17(8-0), किला नंबर 23/2/1(1-0), 24(8-0), 25(8-0), एमयू। नंबर 100, किला नंबर 4/2(5-12), 5/1(6-12), एमयू। नंबर 101, किला नंबर 1/1(6-14), 30/23922 कुल किता 20 क्षेत्रफल का हिस्सा 132 कनाल 18 मरला यानी क्षेत्रफल 0 कनाल 3 मरला 3 सरसाई यानी 100 वर्ग गज के मालिक हैं, पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा निष्पादित प्राधिकरण पर्ची दिनांक 27-02-2019 के तहत (दस्तावेज सं. 6892, पुस्तक सं. -1, वॉल्यूम सं. 2121, पृष्ठ 176.75 पुस्तक 1 खंड 1406 पृष्ठ 7-8 तहसील-सोहना, ग्राम-भोंड़सी) द्वारा **श्रीमती नीति प्रताप सिंह** के पक्ष में निष्पादित किया गया है और मेरे मुवक्किल इसे फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पास बंधक रखना चाहते हैं। जिस किसी को भी इस बंधक पर कोई आपत्ति है, वह 7 दिनों के भीतर विशिष्ट लिखित आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकता है अन्यथा यह माना जाएगा कि इस बंधक पर कोई आपत्ति नहीं है।

वरुण फोगाट (एडवोकेट)
72/03, गली नं. 2, कृष्णा नगर,
सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029
(07982557892) (varunphogaat@live.com)

सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल **श्री अतर सिंह**, संपत्ति **संपूर्ण प्रथम तल, संपूर्ण तीसरी मंजिल और संपत्ति संख्या 294-बी/1 की तीसरी मंजिल की आधी छत, खसरा नंबर 740/496 में शामिल है, ग्राम चिराग दिल्ली के आबादीलाल डोरा (1908-09) में स्थित है नई दिल्ली-110017 (क्षेत्रफल 87 वर्ग गज)** के मालिक हैं, पंजीकृत उपहार विलेख द्वारा दिनांक 27-07-2021 (दस्तावेज सं. 4700, पुस्तक सं. -1, वॉल्यूम सं. 3946, पृष्ठ 67-79, एसआर-5ए , हौज़ खास दिल्ली) और (1) भूतल पर 136.23 वर्ग गज क्षेत्रफल एवं (2) क्षेत्रफल 43.27 वर्ग गज भूतल एवं (3) क्षेत्रफल 66.59 वर्ग गज और भूमि संपत्ति का स्थान (खाली प्लॉट) संख्या 294-बी/3, खसरा नंबर 740/496 में शामिल है ग्राम चिराग दिल्ली के आबादीलाल डोरा (1908-09) में स्थित है नई दिल्ली-110017 (क्षेत्रफल 87 वर्ग गज) के मालिक हैं, पंजीकृत उपहार विलेख द्वारा दिनांक 21-04-2022 (दस्तावेज सं. 3537, पुस्तक सं. -1, वॉल्यूम सं. 4570, पृष्ठ 89-99, एसआर-5ए, हौज़ खास दिल्ली) के तहत दोनों **श्री बलराम** के पक्ष में और मेरे मुवक्किल इसे फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पास बंधक रखना चाहते हैं। जिस किसी को भी इस बंधक पर कोई आपत्ति है, वह 7 दिनों के भीतर विशिष्ट लिखित आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकता है अन्यथा यह माना जाएगा कि इस बंधक पर कोई आपत्ति नहीं है।

वरुण फोगाट (एडवोकेट)
72/03, गली नं. 2, कृष्णा नगर,
सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029
(07982557892) (varunphogaat@live.com)

बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : सेरेब्रम आईटी पार्क बी–2 बिल्डिंग, 5वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र – 411014
शाखा कार्यालय : वार्ड नंबर 11, पुराना भारत गैस कार्यालय, निकट सिंह सभा गुरूद्वारा, पदमपुर, राजस्थान–335041

कब्जा सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4), प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1), (परिशिष्ट–IV) के तहत

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (बीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार/सह कर्जदार/गारंटर उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों)/ गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड की ओर से उक्त नियमावली के नियम 8(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। कर्जदार(रों)/सह कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर बीएचएफएल की इसमें वर्णित राशि(यों) तथा उस पर भावी ब्याज के प्रथम प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम (एलएएन नंबर, शाखा का नाम)	प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना तिथि और राशि	कब्जा की तिथि
शाखा : पदमपुर (एलएएन नंबर : T12RMS91812622) 1. **दर्शन लाल** (कर्जदार) 2. **लक्ष्मी देवी (चूंकि स्वर्गीय अतः कानूनी वारिस के माध्यम से)** (सह–कर्जदार) **दोनों का पता :** वार्ड नंबर 17, पदमपुर–335401	**निम्न वर्णितानुसार गैर–कृषि भूमि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** अहाता नंबर 83, वार्ड नंबर 17, उत्तरी साइड बी ब्लॉक, परिमाप 74.349 वर्ग मीटर, हरिजन वार्ड, पदमपुर जिला, श्रीगंगानगर पदमपुर राजस्थान–335041, पूरब : रोड, पश्चिम : बंसी राम की सम्पत्ति, उत्तर : मदन लाल की सम्पत्ति, दक्षिण : सौरभ कुमार राम चंद की सम्पत्ति	18 अप्रैल, 2023 रू. 6,03,760/– (रूपए छह लाख तीन हजार सात सौ साठ मात्र)	17–07–2023

तिथि : 21–07–2023 स्थान : पदमपुर **प्राधिकृत अधिकारी, बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

almondz
the game changer

अलमोंड्ज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एफ–33/3, ओखला ओद्योगिक क्षेत्र, फेज–2, नई दिल्ली–110020
कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): L74899DL1994PLC059839
फोनः 011-43500700; **टेलीफैक्सः** 011-43500735;
वेबसाइटः www.almondzglobal.com; **ईमेल आईडीः** secretarial@almondz.com

डाक मतपत्र सूचना

कंपनी के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 110, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (''नियम'') के नियम 22 एवं 20, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संगत परिपत्र (यहां के बाद **''एमसीए परिपत्र''** के रूप में संदर्भित), सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''सूचीयन विनियम'') के विनियम **44** और आम बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस–2) के अनुसरण में कंपनी डाक मतपत्र सूचना दिनांक **19 जुलाई, 2023** में विनिर्देशित अनुसार विशेष व्यवसाय (अधिनियम की धारा 102 के साथ पठित धारा 110 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार व्याख्यात्मक विवरण के साथ) (यहां के बाद 'सूचना' के रूप में संदर्भित) के संबंध में केवल ई–वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना चाहती है।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी या डिपॉजिटरीज/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत उनके ई–मेल पते पर ई–मेल के माध्यम से सूचना भेजने का कार्य 20 जुलाई, 2023 को पूरा कर रही है जिनके नाम **शुक्रवार, 14 जुलाई, 2023 ('कट–ऑफ तिथि')** को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं।

सूचना कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। सूचना की कोई भौतिक प्रति नहीं भेजी गई है और सदस्यों की सहमति/असहमति केवल ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से ली जाएगी। इस संबंध में सदस्यों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है किः

क) अधिनियम के साथ पठित संबंधित नियमों, एमसीए परिपत्रों और सूचीयन विनियम, समय–समय पर यथासंशोधित में दिये गये अनुसार व्यवसाय का निष्पादन केवल ई–वोटिंग द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से किया जाना है;

ख) सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना **शुक्रवार, 14 जुलाई, 2023,** जो कि कट–ऑफ तिथि है, के अनुसार की गई है और ऐसा व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को सदस्य नही है वह इस सूचना को केवल जानकारी का प्रयोजन मात्र समझे;

ग) अधिनियम की धारा 108, 110 एवं अन्य लागू प्रावधान के साथ पठित (1) कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं 22, यथासंशोधित; और (2) सूचीयन विनियम के विनियम 44 के अनुपालन में कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की सेवाएं ली हैं।

घ) ई–वोटिंग **शनिवार, 22 जुलाई, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी)** प्रारंभ होगी और **रविवार, 20 अगस्त, 2023 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी)** समाप्त होगी। उसके बाद सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा और कथित तिथि एवं समय के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नही दी जाएगी;

ङ) ई–वोटिंग दिशानिर्देशों के लिए सदस्यगण सूचना में दिये गये निर्देशों को भली–भांति पढ़ लें और ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ एवं शिकायत के लिए सदस्यगण helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क पर संपर्क कर सकते हैं या 022-23058738 एवं 022-23058542-43 पर कॉल कर सकते हैं;

च) सदस्यगण जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नही किया है और जिसके परिणामस्वरूप वह डाक मतपत्र सूचना प्राप्त नही करते हैं, तो ऐसे सदस्यगण beetalrta@gmail.com पर ई–मेल भेजकर कंपनी के आरटीए, बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास अपना ई–मेल पता अस्थाई रूप से पंजीकृत करा सकते हैं। ई–मेल सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद सदस्यगण सूचना और इस डाक मतपत्र के लिए वोटिंग करने हेतु ई–वोटिंग प्रक्रियां की सॉट कॉपी प्राप्त करेंगे। किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण beetalrta@gmail.com पर भी लिख सकते हैं;

छ) कंपनी ने ई–वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए मैसर्स एनपीएस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव (एसीएसः ए55529/सीपी नं. 22069), पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया है;

ज) डाक मतपत्र का परिणाम ई–वोटिंग अवधि समाप्त होने के बाद 2 दिन के भीतर घोषित किया जाएगा और इसे कंपनी की वेबसाइट www.almondzglobal.com और सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और इसकी सूचना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भी दी जाएगी।

बोर्ड की आज्ञानुसार
कृते अलमोंड्ज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड
हस्ता/–
(अजय प्रताप)
कंपनी सचिव और उपाध्यक्ष कॉर्पोरेट मामले

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 20.07.2023

UGRO CAPITAL यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

चतुर्थ तल, टावर 3, इक्विनोक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुम्बई–400070

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अधीन

अधोहस्ताक्षरी ने, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, अधिनियम के अधीन तथा अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिसमें निम्नलिखित कर्जदार(रों) से संबंधित सूचना(ओं) में वर्णित राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। अधोहस्ताक्षरी का तर्काधार पर मानना है कि कर्जदार मांग सूचना(ओं) को प्राप्त करने से बच रहे हैं, अतएव मांग सूचना प्रदान करने का कार्य नियमों के अनुसार सूचना चस्पा करने तथा प्रकाशित करने द्वारा किया जा रहा है। मांग सूचना(ओं) की विषयवस्तु का संक्षिप्त विवरण यहां नीचे दिया गया है :

कर्जदार(रों) का नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत आस्ति(यों) का वर्णन
1. विकास इंटरनैशनल 2. विकास त्यागी 3. सपना त्यागी एलएएन HCFDELSEC00001000883	मांग सूचना तिथि : 18–07–2023 राशि : रू. 84,87,395/– 18–07–2023 तक	**सम्पत्ति विवरण :** सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : अचल सम्पत्ति प्लॉट नंबर 101, फेज–1, इंडस्ट्रियल एस्टेट बढ़ी, सोनीपत, हरियाणा–131001, परिमाप 450 वर्ग मीटर

कर्जदार(रों) को एतद्द्वारा मांग सूचना(ओं) का अनुपालन करने और उनमें तथा यहां ऊपर वर्णित मांग राशि इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर, भुगतान की वसूली तक लागू ब्याज, विलम्ब भुगतान दंड, बाउंस प्रभार, लागत और खर्चों इत्यादि सहित चुकाने की सलाह दी जाती है। कर्जदार नोट करें कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक प्रतिभूत लेनदार है और कर्जदार(रों) द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के पास कर्जदार(रों) बंधक रखी गई प्रतिभूत आस्ति(यों) के रूप में अचल सम्पत्ति(यों) के ऐवज में एक प्रतिभूत ऋण है।

यदि कर्जदार अपनी पूर्ण देयताएं निर्धारित अवधि के भीतर चुकाने में असफल रहते हैं, तो यूग्रो कैपिटल लिमिटेड कर्जदार(रों) के ऋण खाते में बकाया राशि की वसूली के क्रम में प्रतिभूत आस्ति(यों) का कब्जा लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन सभी अधिकारों का प्रयोग करने की अधिकारी होगी, जिसमें उसको बिक्री द्वारा अंतरित करने का अधिकार सम्मिलित है परंतु वहीं तक सीमित नहीं है, अपितु अधिनियम और तदधीन विरचित नियमों के अधीन उपलब्ध किसी अन्य उपाय को भी करने का अधिकार है। यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री अथवा अंतरण के अधिकार प्रवर्तन से पहले प्रतिभूत आस्ति(यों) की कुर्की तथा/अथवा सील करने की भी शक्ति प्राप्त है। प्रतिभूत आस्ति(यों) की बिक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को शेष बकाया राशि वसूल करने के लिए अलग कानूनी कार्यवाही आरंभ करने का भी अधिकार है, यदि प्रतिभूत आस्ति(यों) का मूल्य यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की कर्जदार(रों) द्वारा देय बकाया राशि की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के पास किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और अलग है।

कर्जदार(रों) का ध्यान, प्रतिभूत आस्ति(यां) छुड़ाने के संबंध में, ऐक्ट की धारा 13 (8) की ओर तथा उसके अलावा ऐक्ट की धारा 13 (13) की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत कर्जदार पर, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी प्रतिभूत आस्ति(यों) का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार (व्यवसाय के साधारण तरीके को छोड़कर) से अंतरित करने पर, पाबंदी लगी है और उपरोक्त का अनुपालन नहीं करना अधिनियम की धारा 29 के अधीन एक दंडनीय अपराध है। मांग सूचना(ओं) की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कर्जदार, यदि चाहें, उक्त को अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ता./–
तिथि : 21–07–2023 **अतुल पाठक (प्राधिकृत अधिकारी) वास्ते यूग्रो कैपिटल लिमिटेड**
स्थान : सोनीपत, हरियाणा **authorised.officer@ugrocapital.com**

सार्वजनिक सूचना

20 जुलाई 2023
सम्पत्ति की खरीदः
यह सार्वजनिक सूचना बड़े पैमाने पर जनसाधारण को दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी अपने मुवक्किल की ओर से तथा उनके निर्देश के अंतर्गत **रिहायसी कॉलोनी डीएलएफ सिटी फेज II, गुरुग्राम में स्थित प्लॉट नं. 264 वर्ग मीटर/316 वर्ग यार्ड तथा निर्मित/अच्छादित क्षेत्रफल 2135 वर्ग फीट क्षेत्र की निर्मित रिहायसी सम्पूर्ण सम्पत्ति मकान नं. 3 रोड नं. एल 19** (सामूहिक रूप से "सम्पत्ति" कहा गया है), जो V 1/12, डीएलएफ, फेज-III, गुरुग्राम, हरियाणा निवासी श्रीमती कंवलजीत कौर, पति श्री अमृत पाल सिंह के नाम पंजीकृत है, के मालिकाना, शीर्षक, अधिकार तथा हित की जांच कर रहे हैं।
किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान के पास कथित सम्पत्ति अथवा उसके किसी भी हिस्से के संबंध में किसी भी प्रकृति का, चाहे जो कुछ भी हो, कोई अधिकार, शीर्षक, मांग अथवा हित के संबंध में कोई दावा अथवा अधिकार हो तथा/अथवा कथित सम्पत्ति अथवा उसके किसी भी हिस्से के संबंध में किसी भी तरह की बिक्री, विनिमय, बंधक, वैध अधिकार, प्रभार, ट्रस्ट अथवा किसी भी प्रकृति के ऋणभार, चाहे कुछ भी हो, के जरिए कोई भी दावा हो अथवा किसी भी रूप में, चाहे कुछ भी हो, कोई आपत्ति हो, तो उन्हें एतद्द्वारा वर्तमान सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी तथा/अथवा हमारे मुवक्किल को सभी आवश्यक तथा समर्थित दस्तावेज तथा अन्य प्रासंगिक साक्ष्यों के साथ लिखित रूप से उसकी जानकारी प्रदान करना होगा, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान के पास कथित सम्पत्ति के संबंध में कोई भी अधिकार, शीर्षक, दावा अथवा हित निहित नहीं है तथा कथित सम्पत्ति के संबंध में सभी तरह के दावे अथवा आपत्ति, यदि कोई हो, को समाप्त समझा जाएगा। तदुपरांत, किसी भी व्यक्ति के किसी भी रूप में किसी भी दावे अथवा आपत्तियों को स्वीकार तथा/अथवा विचार नहीं किया जाएगा तथा वह हमारे मुवक्किल के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।

(मोहित नेहरा)
अधिवक्ता
मोः +91 98684 94928

प्रपत्र सं. 3 [विनियम-15(1)(ए)]/16(3) देखें]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

पहली मंजिल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़ (तीसरी एवं चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त जगह आबंटित की गई है)

केस नं.: ओए/731/2023 **ईएक्सएच. नं.: 18942**

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के अंतर्गत सम्मन।

एचडीएफसी बैंक बनाम राजीव कुमार सिंगला

प्रति, (1) राजीव कुमार सिंगला पिता ज्ञान चंद सिंगला, राजीव कुमार सिंगला पिता ज्ञान चंद सिंगला, स्वत्वाधिकारी मैसर्स श्री राम केमिकल्स एण्ड मेटल्स, पता शॉप नं. 1, डागर भवन, सेक्टर 58, विकास पेट्रोल पम्प के निकट-झड़सायंतली, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा-121004, ईमेलः shreeramchemicals@gmail.com मोबाइलः 9313138658। और एक पताः 154, मनशा रेसिडेंसी, ग्राम औरंगाबाद, जिला पलवल हरियाणा-121102। {पैन नं. AYMPS6827P, मोबाइल नं. 9313138658} फरीदाबाद, हरियाणा-121004 और एक पता शॉप नं. 1, डागर भवन, सेक्टर 58, विकास पेट्रोल पम्प के निकट-झड़सायंतली, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा, और एक पताः 154, मनशा रेसिडेंसी, ग्राम औरंगाबाद, जिला पलवल हरियाणा।

सम्मन

चूंकि, ओए1731/2023 माननीय पीठासीन अधिकारी/पंजीयक के समक्ष दिनांक **23/06/2023** को सूचीबद्ध किया गया था। चूंकि यह माननीय न्यायाधिकरण बकाया ऋण की रकम **रु. 67,26,386.58** की वसूली के लिए आपके खिलाफ अधिनियम की धारा 19(4) के अधीन दायर (ओए) उक्त आवेदन पर सम्मन/सूचना जारी करते हुए हर्षित है (आवेदन के साथ दस्तावेज इत्यादि की प्रतिलिपि संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुपालन के तहत आप, प्रतिवादियों के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:- (i) सम्मन सेवित किए जाने के तीस दिनों के अंदर यह कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों न स्वीकार कर लिया जाए; (ii) मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अलावा सम्पत्तियों तथा आस्तियों का विवरण प्रकट करें; (iii) आप पर मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के अंतर्गत प्रकट की गई प्रत्याभूत सम्पत्तियों अथवा इस तरह की अन्य सम्पत्तियों तथा आस्तियों के साथ सौदा अथवा उसका निपटान करने पर रोक लगा दी गई है, जिसकी सम्पत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन पर सुनवाई तथा निपटान लंबित है; (iv) आप अपने व्यवसाय की साधारण कार्यप्रणाली को छोड़कर न्यायाधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बगैर किसी भी सम्पत्तियों जिस पर प्रतिभूति हित सृजित की गई है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अधीन निर्दिष्ट अथवा प्रकट अन्य सम्पत्तियों तथा आस्तियों को बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रारूप के जरिए हस्तांतरित नहीं कर पाएंगे; (v) प्रत्याभूत सम्पत्तियों अथवा अन्य सम्पत्तियों तथा व्यवसाय की साधारण कार्य प्रणाली में सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त रकम का हिसाब रखने तथा संबंधित सम्पत्तियों पर प्रतिभूति हित धारण करने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा रखरखाव किए जाने वाले खाते में संबंधित बिक्री रकम जमा करने की जिम्मेदारी आप पर होगी। आपको आवेदक के पास प्रस्तुत लिखित बयान के साथ उसकी प्रतिलिपि भी दायर करने तथा **पंजीयक** के समक्ष **दिनांक 26/09/2023 की सुबह 10.30 बजे** उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में आवेदन पर सुनवाई कर उस पर निर्णय प्रदान कर दिया जाएगा। मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायाधिकरण की मुहर द्वारा दिनांकः **30/06/2023** को जारी।

सम्मन जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अधीन)

आरसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ हेतु

प्रासंगिक विवरण		
1	निगमित कर्जदार का नाम	आरसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
2	निगमित कर्जदार के गठन की तिथि	25-07-2006
3	प्राधिकारी जिनके अधीन निगमित कर्जदार का गठन/पंजीयन किया गया है	निगमित कार्य मंत्रालय, आरओसी-दिल्ली
4	निगमित कर्जदार का कॉरपोरेट आईडेंटिटी सं./लिमिटेड लायब्लिटी आईडेंटिफिकेशन सं.	U70109DL2006PTC151262
5	निगमित कर्जदार के पंजीकृत कार्यालय तथा मूल कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं. 552, फिफ्थ एफआई टेरेस टावर-बी, डी-4, 5, 6 कृष्णा एप्रा बिजनेस स्क्वायर, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-110034, भारत
6	निगमित कर्जदार के संबंध में दिवालिया आरम्भ होने की तारीख	18.07.2023
7	दिवालिया समाधान की प्रक्रिया बंद करने की अनुमानित तारीख	14.01.2024
8	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवालिया पेशेवर का नाम तथा पंजीयन संख्या	श्री मनीष अग्रवाल IBBI/IPA-002/IP-N00223/2017-2018/10904
9	बोर्ड के साथ यथा पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर का पता एवं ईमेल	पताः 307, प्रकाश दीप बिल्डिंग, टोल्टॉय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ई-मेलः vrregisteredvaluer@gmail.com
10	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार हेतु प्रयोग किया जाने वाला पता एवं ईमेल	पताः 307, प्रकाश दीप बिल्डिंग, टोल्टॉय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ई-मेलः cirp.aipl18@gmail.com
11	दावा जमा करने अंतिम तिथि	01.08.2023
12	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप-धारा (6ए) के अनुच्छेद (बी) के अधीन ऋणदाताओं की श्रेणियां, यदि कोई है	गृह क्रेतागण
13	एक श्रेणी में ऋणदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित दिवाला पेशेवरों के नाम (प्रत्येक श्रेणी हेतु तीन नाम)	1. **श्री अमित अग्रवाल** (आईबीबीआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-002/IP-N00185/2017-2018/10456) 2. **श्री ईशांत जैन** (आईबीबीआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P-02530/2021-2022/14038) 3. **रुचि गुप्ता** (आईबीबीआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P-02642/2021-2022/14058)
14	प्रासंगिक प्रपत्र तथा अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण जहां उपलब्ध है	(क) प्रासंगिक प्रपत्र नीचे उल्लेखित वेबलिंक से डाउनलोड किया जा सकता हैः https://ibbi.gov.in/en/home/downloads (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण जहां से मांगा जा सकता हैः https://ibbi.gov.in/en/insolvency-professional

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने दिनांक 18.07.2023 को **मैसर्स आरसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड** के निगमित दिवाला समाधान की प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।
मैसर्स आरसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं को एतद्द्वारा अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के पास प्रविष्टि सं. 10 में उल्लिखित पते पर दिनांक 01.08.2023 को अथवा उससे पहले अपने साक्ष्य के साथ अपने दावे जमा करने को कहा जाता है।
वित्तीय ऋणदाताओं को साक्ष्य के साथ अपने दावे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा करना होगा। अन्य सभी ऋणदातागण साक्ष्य के साथ अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं।
प्रविष्टि सं. 12 के तहत सूचीबद्ध एक श्रेणी से संबंधित वित्तीय ऋणदाता को प्रपत्र सीए में श्रेणी (निर्दिष्ट श्रेणी) के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन दिवालिया पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में अपनी पसंद का उल्लेख करना होगा।
दावों के गलत रहने पर अथवा झूठे साक्ष्य जमा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम एवं हस्ताक्षर
हस्ता/-
तारीखः 21.07.2023 **मनीष अग्रवाल**
स्थानः नई दिल्ली
आईबीबीआई पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00223/2017-2018/10904
अंतरिम समाधान पेशेवर
आरसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
एएफए की वैधताः 17.03.2024 तक
पताः 307, प्रकाश दीप बिल्डिंग, टोल्टॉय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

Coforge | कोफोर्ज लिमिटेड

CIN: L72100DL1992PLC048753
पंजी. कार्यालय : 8, बालाजी एस्टेट, तृतीय तल, गुरू रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली – 110019
फोन : 91 (11) 41029297
ई-मेल: investors@coforge.com **वेबसाइट:** https://www.coforge.com

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रू. मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	पृथक्कृत: तिमाही समाप्त 30.06.2023	पृथक्कृत: पूर्ववर्ती तिमाही समाप्त 31.03.2023	पृथक्कृत: संगत तिमाही समाप्त 30.06.2022	पृथक्कृत: वर्ष समाप्त 31.03.2023	समेकित: तिमाही समाप्त 30.06.2023	समेकित: पूर्ववर्ती तिमाही समाप्त 31.03.2023	समेकित: संगत तिमाही समाप्त 30.06.2022	समेकित: वर्ष समाप्त 31.03.2023
1.	परिचालन से कुल आय	11,403	11,267	9,719	42,305	22,210	21,700	18,294	80,146
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर एवं अपवाद मदों से पहले)	2,213	3,114	1,509	8,748	2,242	2,069	2,212	10,035
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ, कर से पहले (अपवाद मदों के बाद)	2,213	2,591	1,509	8,225	2,242	1,546	2,212	9,512
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ, कर पश्चात	2,110	2,412	1,346	7,325	1,757	1,167	1,719	7,451
5.	अवधि हेतु कुल सम्मिलित आय	2,228	2,523	1,226	7,034	1,937	1,434	1,409	7,767
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	611	611	609	611	611	611	609	611
7.	संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर)	26,176	24,907	21,537	24,907	31,564	30,453	27,252	30,453
8.	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	650	635	395	635	650	635	395	635
9.	शुद्ध मूल्य	27,437	26,153	22,541	26,153	32,825	31,699	28,256	31,699
10.	प्रदत्त ऋण पूंजी/बकाया ऋण	6,070	3,382	5,301	3,382	9,060	3,382	6,024	3,382
11.	बकाया पुनर्मोच्य अधिमान शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	ऋण इक्विटी अनुपात*	0.22	0.13	0.24	0.13	0.28	0.11	0.21	0.11
13.	प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य रू. 10/– प्रत्येक) (वार्षिककृत नहीं)								
	1. मूल	34.54	39.49	22.10	120.12	27.06	18.80	24.57	113.77
	2. तनुकृत	33.87	38.76	21.71	117.75	26.54	18.45	24.14	111.53
14.	पूंजी पुनर्मोचन संचेय	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
15.	ऋणपत्र पुनर्मोचन संचेय	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	ऋण भुगतान व्याप्ति अनुपात*	5.53	0.27	7.91	7.28	19.19	1.00	21.94	15.52
17.	ब्याज भुगतान व्याप्ति अनुपात*	5.53	3.45	7.98	7.31	19.32	16.75	22.11	20.19

नोट्स :–

i) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारकित रूप है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज(जों) की वेबसाइट्स और सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट http://www.coforge.com पर उपलब्ध है।

ii) उपरोक्त परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा 20 जुलाई, 2023 को आयोजित बैठक में पुनरीक्षित एवं अनुशंसित किए गए थे और निदेशक मंडल द्वारा उसी तिथि को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे।

iii) वित्तीय परिणाम लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 और संशोधित नियमावली, 2016 के नियम 3 में निर्धारित किया गया है।

iv) निदेशक मंडल ने 20 जुलाई, 2023 को आयोजित इसकी बैठक में रू. 19 प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया है।

v) अनुपातों के परिकलन में प्रयुक्त सूत्र

ऋण – इक्विटी अनुपात (समय/गुना) ख्कुल ऋण (चालू एवं गैर–चालू)/कुल इक्विटी,

ऋण भुगतान व्याप्ति अनुपात (समय/गुना) ख्ब्याज, कर, मूल्यह्रास तथा ऋणशोधन (अवधि के दौरान अल्पावधि और दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज व्यय + दीर्घावधि ऋणों तथा अल्पावधि ऋणों के मूल का भुगतान) से पूर्व अर्जन, – अ–वार्षिककृत

ब्याज भुगतान व्याप्ति अनुपात (समय/गुना) ख्अवधि के दौरान ब्याज, कर, मूल्यह्रास तथा ऋणशोधन/चालू और गैर–चालू ऋणों पर ब्याज व्यय) से पूर्व अर्जन, – अ–वार्षिककृत

वास्ते **कोफोर्ज लिमिटेड**
हस्ता/–
सुधीर सिंह
सीईओ ऐंड एग्जीक्युटिव डायरेक्टर
DIN: 07080613

तिथि : 20 जुलाई, 2023
स्थान : नोएडा

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

शाखा : परी चौक, ग्रेटर नोएडा, जनपद – गौतम बुद्ध नगर

ई–नीलामी विक्रय सूचना

''परिशिष्ट–IV–ए'' (नियम 8(6) का प्रावधान देखें) अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि इंडियन बैंक, प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका अधिग्रहण (रचनागत / भौतिक / सांकेतिक) इंडियन बैंक, संबंधित शाखा के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, उसका विक्रय निम्नलिखित उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता की ओर से इंडियन बैंक, संबंधित शाखा, प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुग्तेय निम्न विवरणितानुसार अधोअंकित बकाया राशियों तथा भावी ब्याज, शुल्कों एवं लागतों, इत्यादि की वसूली करने के लिये, निम्नांकित तिथियों पर, **''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है''** आधार पर किया जाएगा।

क्र. स.	शाखा का नाम तथा उधारकर्ता / गारंटर का नाम	बकाया देयराशियां / अधिग्रहण का प्रकार	नीलामी पर रखी गयी प्रतिभूति के विवरण	आरक्षित मूल्य / धराज	बोली वृद्धिशील राशि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	नोडल शाखा खाता विवरण
1.	**मैसर्स कैम्पस गिफ्ट गैलरी; दुकान का पता :** दुकान नंबर 6, गुरबख्श प्लाजा, जगत फ्रैम मार्केट, सेक्टर–गामा–3, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201306, **स्वामिनी का पता : श्रीमती धर्मवती पत्नी श्री वेदपाल,** ग्राम – लखनावली, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201306 **गारंटर/बंधककर्ता : श्री तेजवीर पुत्र स्वर्गीय लायक राम;** मकान नंबर–21, ग्राम–लखनावली, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 201306 आवासीय प्लॉट – नंबर 67 ए, ग्राम – लखनावली, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 201306 **गारंटर / बंधककर्ता : श्री गिरिराज सिंह पुत्र स्वर्गीय लायक राम;** मकान नं. 45, ग्राम – लखनावली, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 201306 आवासीय प्लॉट – नंबर 67 ए, ग्राम – लखनावली, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 201306 **गारंटर : श्री वेदपाल पुत्र तेजवीर; ग्राम – लखनावली,** ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 201306 **ऋण खाता सं.: 50378656947**	रु. 44,51,140/– (22.02.2023 के अनुसार) तथा राशि पर ब्याज **सांकेतिक**	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो श्री तेजवीर पुत्र स्वर्गीय लायक राम के नाम पर और श्री गिरिराज सिंह पुत्र स्वर्गीय लायक राम के नाम पर हैं, जिसमें आवासीय भूखंड संख्या 67 ए समाविष्ट है, जो कि ग्राम – लखनावली, पोस्ट ऑफिस – सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश – 201306 में स्थित है तथा जिसका क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं : पूर्व– पट्टा योजना के अनुसार, पश्चिम– पट्टा योजना के अनुसार, उत्तर– पट्टा योजना के अनुसार, दक्षिण– पट्टा योजना के अनुसार	रु. 57,75,000/– रु. 5,80,000/–	रु. 25,000/–	23.08.2023 11.00 बजे से 05.00 बजे तक	इंडियन बैंक, नोएडा शाखा सेक्टर–61, नोएडा खाता संः 6102699146 आईएफएससी : IDIB000N108
2.	**मैसर्स रुद्र टेक्नो सर्विसेज (पीईबी), दुकान का पता :** फ्लैट नं.–एसएफ–2, मां वैष्णो टॉवर, द्वितीय तल, राम बाग कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **स्वामिनी का पता :** श्रीमती सोनिया अग्रवाल पत्नी श्री अनुज कुमार अग्रवाल, फ्लैट नं–एसएफ–2, मां वैष्णो टॉवर, द्वितीय तल, राम बाग कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **गारंटर/बंधककर्ता : श्रीमती सोनिया अग्रवाल पत्नी श्री अनुज कुमार अग्रवाल,** फ्लैट नं.–एसएफ–2, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर–19, खसरा नंबर–403 एवं 404, राम बाग, ग्राम–हरसांव डासना, तहसील एवं जनपद – गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **ऋण खाता सं.: 50380665414 एवं 50396779025**	रु. 17,37,552/– (28.02.2019 के अनुसार) तथा राशि पर ब्याज **सांकेतिक**	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो श्रीमती सोनिया अग्रवाल पत्नी श्री अनुज कुमार अग्रवाल के नाम पर हैं, जिसमें आवासीय फ्लैट क्षेत्रफल– 66.88 वर्ग मीटर आवृत्त क्षेत्र, फ्लैट नंबर एसएफ–2, द्वितीय मंजिल, प्लॉट नंबर–19, खसरा नंबर–403 एवं 404, राम बाग, ग्राम – हरसांव डासना, तहसील एवं जनपद – गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं : पूर्व– प्लॉट नंबर 18, पश्चिम– अन्य का प्लॉट, उत्तर– सड़क 20 फुट चौड़ी, दक्षिण– प्लॉट नंबर 10	रु. 20,06,000/– रु. 2,00,000/–	रु. 25,000/–	23.08.2023 11.00 बजे से 05.00 बजे तक	इंडियन बैंक, नोएडा शाखा सेक्टर–61, नोएडा खाता संः 6102699146 आईएफएससी : IDIB000N108

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन बोली में प्रतिभागिता करने के लिए हमारे ई–नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लि. की वेबसाइट अर्थात् (www.mstcecommerce.com) देखें। तकनीकी सहायता के लिए कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क नं. 033.22901004 और सेवा प्रदाता हेल्प डेस्क पर उपलब्ध अन्य हेल्प लाइन नंबरों पर कॉल करें। एमएसटीसी लि. के साथ पंजीकरण स्थिति के लिए कृपया ibapiop@mstcecommerce.com पर तथा धराज स्थिति के लिए कृपया ibapifin@mstcecommerce.com पर संपर्क करें।
संपत्ति के विवरणों तथा संपत्ति के चित्र और नीलामी के नियमों व शर्तों के लिए कृपया https://ibapi.in पर जाएं और इस पोर्टल से संबंधित स्पष्टीकरणों के लिए कृपया हेल्प लाइन नंबर '18001025026' तथा '011-41106131' पर संपर्क करें।

दिनांक : 19-07-2023, स्थान : ग्रेटर नोएडा **प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक**